POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 23.05.2025

थाना माण्डा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट का 20,000/- रूपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना माण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना मेजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित नामजद/वांछित 20,000/- रुपये का ईनामियां अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र भारत प्रसाद नि0 ग्राम सरायछत्ता, ढिंगईपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 22.05.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि थाना मेजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट विरुद्ध अभि0गण 1. रामसिंह पुत्र रोशनलाल यादव निवासी नेवादा बर्धनी थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज 2. दीपक कुमार पुत्र भारत प्रसाद नि0 बेती थाना हथिगवाँ जिला प्रतापगढ़ 3. राहुल सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी गढ़ुरा थाना अगरैर, जिला रोहतास बिहार 4. मो0 रुस्तम पुत्र शेख शमसुर निवासी पुखरा के पूर्व अंसारी के घर के पास कादिरगंज थाना सासाराम नगर, रोहतास बिहार की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना माण्डा द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त अभियोग से सम्बन्धित नामजद/वाछित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र भारत प्रसाद नि0 ग्राम सरायछत्ता, ढिंगईपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ की गिरफ्तारी हेतु टीम घठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा था। काफी प्रयास के बाद भी गिरफ्तारी ना होने की दशा में अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त यमुनानगर द्वारा दिनांक-09.11.2024 को 20 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। जिसके उपरांत अभि0 रामसिंह व राहुल सिंह को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक

22.05.2025 को अभियुक्त दीपक कुमार उपरोक्त को ग्राम धरांव नारा नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त दीपक कुमार उपरोक्त ने बताया कि कुछ साल पहले में डेहरी, ओनसोन बिहार में थ्रेसर प्लांट पर मुन्शी का काम किया था, वहां मेरी दोस्ती राहुल सिंह और रुस्तम से हो गयी, उन्ही के साथ मिलकर मैने पैसे के लालच में घरों में चोरी, वाहनों की चोरी व बैटरी चोरी करना शुरू कर दिया था, मैने अपने साथी रामसिह और राहुल सिंह व रूस्तम सिंह के साथ मिलकर कई चोरी की घटनाएं थाना मेजा व माण्डा क्षेत्र में कारित की हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक कुमार पुत्र भारत प्रसाद नि0 ग्राम सरायछत्ता, ढिंगईपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 167/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मेजा प्रयागराज।

अभियुक्त दीपक कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 350/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना मेजा प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0 220/20 धारा 411/413/414 भादवि थाना माण्डा प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0 221/20 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना माण्डा प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह थाना माण्डा प्रयागराज।
2. उ0नि0 निहाल गुप्ता थाना माण्डा प्रयागराज
3. उ0नि0 अमित नागर थाना माण्डा प्रयागराज।
4. का0 नीरज कुमार थाना माण्डा प्रयागराज
5. का0 संतोष यादव थाना माण्डा प्रयागराज।

6. का0 अंकित यादव थाना माण्डा प्रयागराज
7. का0 कुलदीप चौधरी थाना माण्डा प्रयागराज